

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर०ए०एस० अति० संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 58/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांक: 5.7.2018
अन्तर्गत धारा: 76 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. बिरधीलाल आत्मज पन्नलाल जाति खटीक निवासी राठोर किराना स्टोर डीसीएम पावर हाउस इन्द्रागांधी नगर कोटा-राज०।
2. रामचरण आ० पन्नलाल जाति खटीक निवासी ग्राम भदाणा पो० रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा-राज०।

...अपीलाट्स

बनाम

1. श्रीमति कांति बाई पत्नी चौथमल पुत्री स्व० पन्नलाल जाति खटीक निवासी कागदी देवरा खटीको की गली बूंदी तहसील व जिला बूंदी-राज०।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट



उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलाट
श्री हेमराज मीणा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम-1

निर्णय

दिनांक 24.10.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 152/15 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कांति बाई बनाम बिरधीलाल वगेरा मे पारित निर्णय 1.2.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि कांतिबाई द्वारा नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 3.1.2002 ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा को अधीनस्थ न्यायालय मे इस आधार पर विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमे उसका अधिकार है। विवादित आराजी का नामान्तरकरण बिरधीलाल, रामचरण के नाम तस्दीक किया गया जो त्रुटिपूर्ण है पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। अतः नामा० निरस्त किया जाकर विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपीलाट के नाम उसके हिस्से अनुसार दर्ज करने

अति० ए० बाबू
कोटा

का आदेश प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने कांति बाई की अपील को दिनांक 1.2.2018 को स्वीकार कर नामा० सं० 245 निरस्त करते हुये तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया कि स्व० पन्नालाल के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नवीन आदेश पारित पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी बिरधीलाल वगेरा द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 1.2.2018 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया।
- 3 अपीलांट एवं रेस्पो० क्रम-1 ने प्रकरण मे दिनांक 9.8.2018 को उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक लोक अदालत की भावना से विवादित भूमि के बावत राजीनामा हो जाना वर्णित करते हुये राजीनामा पत्र मे उल्लेखित किया कि सक्षिप्त मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 1.2.2018 की पालना नही हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखो मे अपीलांट के नाम दर्ज चली आ रही है जिसमे रेस्पो० क्रम-1 को कोई आपत्ति नही है तथा लोक अदालत की भावना से सहमत है। अतः लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 1.2.2018 निरस्त किया जावे।
- 4 प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार की बहस सुनी गई तथा अपील पत्रावली एवं जेरअपील निर्णय दिनांक 1.2.2018 का अवलोकन कर प्रकरण मे लोक अदालत की भावना से उभय पक्षकार अपीलांट्स एवं रेस्पो० क्रम-1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र दिनांक 9.8.2018 का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने कांति बाई रेस्पो० क्रम-1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 245 दिनांक 3.1.2002 ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को दिनांक 1.2.2018 को स्वीकार कर नामा० सं० 245 निरस्त करते हुये तहसीलदार लाडपुरा को स्व० पन्नालाल के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नवीन आदेश पारित करने की आज्ञा पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आज्ञा को अपीलांट बिरधीलाल, रामचरण द्वारा अपील पेश कर इस न्यायालय मे चुनोती दी है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे उक्त पक्षकारान द्वारा दिनांक 9.8.2018 को उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक लोक अदालत की भावना से विवादित भूमि के बावत राजीनामा हो जाना वर्णित करते हुये राजीनामा पत्र पेश किया गया। राजीनामा पत्र मे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 1.2.2018 की पालना नही होना, राजस्व अभिलेखो मे अपीलांट का नाम दर्ज होने से रेस्पो० क्रम-1 को कोई आपत्ति नही होना वर्णित करते हुये लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 1.2.2018 निरस्त करने का अनुरोध किया गया। पक्षकारान के मध्य हुये उक्त आशय के आपसी राजीनामा अनुसार विवादित आराजी के संबध मे किसी प्रकार राज्यहित प्रभावित होना प्रकट नही होता है। अतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारान मध्य हुये राजीनामा को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा पत्र दिनांक 9.8.2018, अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं० 152/15 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कांति बाई बनाम बिरधीलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 1.2.2018 को निरस्त किया जाता है।
- 5 निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा